भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2770
08 अगस्त, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास

2770. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री अमरसिंग टिस्सो:
श्री मनीष जायसवाल:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार और झारखंड राज्यों और असम में कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिलों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए /उठाए जाने का विचार है;

(ख) सरकार द्वारा बिहार राज्य में प्रसंस्करण पार्क स्थापित किए जाने वाले स्थानों के नाम और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) संपूर्ण देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित किए गए उक्त पार्कों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) झारखंड में पिछले तीन वर्षों के दौरान छोटे व्यापारों के विकास और स्तर में तीव्रता लाने के लिए अनुमोदित विशिष्ट परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ड.) संपूर्ण देश विशेष रूप से झारखंड और बिहार में, इस समय कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (एफपीयू) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का अनेक एफपीयू स्थापित करने का विचार है और उसने झारखंड और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से बिहार, झारखंड और असम के कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिलों के ग्रामीण क्षेत्र सहित पूरे देश में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

एमओएफपीआई 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ उद्यमियों को पीएमकेएसवाई की घटक योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में ज्यादातर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है ।

मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए चालू है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ क्रियान्वित की जा रही है।

(ख): बिहार राज्य में अनुमोदित दो मेगा फूड पार्क (एमएफपी) परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): वर्ष 2019-20 से देश में अनुमोदित छह एमएफपी परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

(घ): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत झारखंड में कुल 1823 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को अनुमोदन दिया गया है।

(ङ): वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार झारखंड और बिहार सहित देश भर में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है ।

(च): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित नहीं करता है। यह पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआईएस जैसी योजनाओं के माध्यम से ऐसी सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहा है, जो स्वरूप में मांग आधारित हैं और पूरे देश में लागू की गई हैं।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 08 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास" से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2770 के स्वीकृत संस्करण के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>बिहार में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत किए गए मेगा फूड पार्क</u>

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अंतिम अनुमोदन की तारीख	परियोजना लागत (रु. करोड़ में)	अनुमत अनुदान (रु. करोड़ में)	स्थिति
1	प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	खगड़िया , बिहार	6 अगस्त 2014	120.13	41.90	कार्यान्वयनाधीन
2	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआइएडीए)	मुजफ्फरपुर , बिहार	7-अप्रैल - 2022	180.57	45.40	कार्यान्वयनाधीन

अनुबंध-II

दिनांक 08 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास" से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2770 के स्वीकृत संस्करण के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2019-20 से पीएमकेएसवाई के अंतर्गत मेगा फूड पार्कों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं	परियोजना का नाम	राज्य	अंतिम अनुमोदन की तारीख	परियोजना लागत (रु . करोड़ में)	अनुमत अनुदान (रु. करोड़ में	स्थिति
1	रोंगोगे मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	पापुम पारे, अरूणाचल प्रदेश	12-सितम्बर-2019	73.02	43.25	कार्यान्वयनाधीन
2	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए)	मुजफ्फरपुर , बिहार	7-अप्रैल 2022	180.57	45.40	कार्यान्वयनाधीन
3	मणिपुर खाद्य उद्योग निगम लिमिटेड	थौबा , मणिपुर	29-जनवरी-2020	81.83	43.25	कार्यान्वयनाधीन
4	मेघालय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमआईडीसी)	उत्तर गारो पहाड़ियाँ, मेघालय	23-नवंबर-2021	65.86	48.30	कार्यान्वयनाधीन
5	श्री राम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	बीकानेर, राजस्थान Rajasthan	7-अप्रैल-2022	132.81	50.00	कार्यान्वयनाधीन
6	तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड (टीएनएसएएमबी)	तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	23-जून-2021	77.024	23.64	कार्यान्वयनाधीन

******

अनुबंध-III

दिनांक "08 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए "खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास" से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2770 के स्वीकृत संस्करण के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

<u>वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के विनिर्माण में लगी पंजीकृत इकाइयों की संख्या</u>

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत इकाइयों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5
2	आंध्र प्रदेश	5565
3	अरुणाचल प्रदेश	52
4	असम	1644
5	**बिहार**	**899**
6	चंडीगढ़	20
7	छत्तीसगढ	2015
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	51
9	दिल्ली	155
10	गोवा	98
11	गुजरात	2496
12	हरियाणा	1058
13	हिमाचल प्रदेश	166
14	जम्मू और कश्मीर	185
15	**झारखंड**	**238**
16	कर्नाटक	2379
17	केरल	1771
18	लद्दाख	0
19	मध्य प्रदेश	1077
20	महाराष्ट्र	2755
21	मणिपुर	33
22	मेघालय	33
23	मिजोरम	29
24	नगालैंड	18
25	ओडिशा	1282
26	पुदुचेरी	70
27	पंजाब	3292
28	राजस्थान	1016
29	सिक्किम	18
30	तमिलनाडु	5030
31	तेलंगाना	3666
32	त्रिपुरा	131
33	उत्तर प्रदेश	2220
34	उत्तराखंड	368
35	पश्चिम बंगाल	2078
	कुल	41,913

*****